

अनवान स्टेट बनाम नरेश चावला मुकद्मा नम्बर : 16 सन् 2021

किस्म मुकद्मा : राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.06.21	<p>पत्रावली पेश हुई। नोटिस तामिल होकर प्राप्त नहीं हुआ। भू.अ. निरीक्षक छतरगढ व पटवारी हल्का छतरगढ (ए) की रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमित भूमि पर अप्रार्थी नरेश चावला के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है। उक्त अतिक्रमित भूमि पर पूनम मीणा पुत्र रामेश्वरलाल जाति मीणा साकिन छतरगढ के द्वारा अतिक्रमण किया गया है।</p> <p>अतः अप्रार्थी नरेश चावला के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: center;">तहसीलदार एवं <sup>क</sup>कार्यपालक दण्डनायक छतरगढ (बीकानेर) तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक छतरगढ (बीकानेर)</p>	